भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 690
दिनांक 18 सितम्बर, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

कोरोना वायरस के कारण दवा तत्वों और दवाइयों की कमी

690. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में दवाओं और औषधियों के उत्पादन में प्रयोग होने वाले लगभग 65 प्रतिशत दवा-तत्वों का आयात चीन से होता है;
(ख) क्या कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण आयात रोक दिया गया है और देश के दवा निर्माताओं का भंडार कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा; और
(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा विभिन्न दवा तत्वों के अभाव को कम या पूरा करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि विभिन्न मूलभूत दवाओं के अभाव और कीमत में वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा)

(क): भारतीय औषध उद्योग दुनिया में मात्रा के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य के मामले में 14वां सबसे बड़ा देश है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में 14389 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की दवाइयों का निर्यात किया। भारत ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में 3911 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की बल्क औषध/माध्यमिक औषध का भी निर्यात किया। तथापि, देश दवाइयों के उत्पादन के लिए विभिन्न बल्क औषधों/सक्रिय औषधीय सामग्री (एपीआई) का भी आयात करता है। बल्क औषध, माध्यमिक औषध के कुल आयात का दो-तिहाई हिस्सा चीन से आयात किया जाता है। केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के विभिन्न बन्दरगाह कार्यालयों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार चीन से आयातित कच्चे माल के प्रतिशत का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	प्रतिशत (मूल्य के संदर्भ में)
2017	68.62%
2018	66.53%
2019	72.40%

(ख): सीडीएससीओ के विभिन्न बंदरगाह कार्यालयों से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण दवाओं का आयात बंद नहीं हुआ है। सीडीएससीओ को इस समय विनिर्माताओं के पास स्टॉक की कमी के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग): केंद्र सरकार ने सा.आ. 2450 (अ) दिनांक 27.07.2020 के माध्यम से अधिसूचना जारी की है जो 6 महीने के लिए वैध है, बशर्ते कि यदि पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक मौजूदा प्रमाण पत्र की समाप्ति से पहले एक नए आयात पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करता है, तो मौजूदा पंजीकरण प्रमाण पत्र आवेदन पर आदेश पारित होने तक मान्य होगा और यह सभी प्रयोजनों के लिए मान्य माना जाएगा। आत्मनिर्भरता हासिल करने और एपीआई / बल्क औषधियों के आयात पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से, सरकार ने दो योजनाओं की शुरुआत की है (i) " भारत में महत्वपूर्ण मुख्य प्रारम्भिक सामग्रियों (केएसएम) / ड्रग इंटरमीडिएट (डीआई) और सक्रिय औषधीय घटकों (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना" और (ii) "बल्क औषधि पार्कों का संवर्धन"। दोनों योजनाओं के दिशानिर्देश 27 जुलाई, 2020 को जारी किए गए थे।

*****